संख्या-1/XXX(2)/2019-55(2)2002

देहरादून: दिनांक: 04 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2(ग) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ तथा तलाकशुदा पुत्रियाँ; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन	(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) पुत्री; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन।

सेवक अविवाहित था।

सेवक अविवाहित था।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः– 154/XXX (2)/2015–55(08)/2002

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषयः– राज्य कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत हो जाने की दशा में मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को नियमानुसार राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों (यथा समूह 'ग' एवं 'घ') पर सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2 इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 877 XXVII(7) च0श्र0/2011 दिनांक 24–03–2011 के माध्यम से समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया, तदोपरान्त वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 63 XXVII(7) 27(8)/2011 दिनांक 05–07–2011 के द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–03–2011 के द्वारा समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित करने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

3 शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24–3–2011 के सम्बन्ध में समूह 'घ' के पदों पर मृतक आश्रितों के सम्बन्ध में पुनः शासनादेश दिनांक 5–7–2011 द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के पश्चात भी कतिपय विभागों द्वारा अभी भी समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखने वाले मृतक आश्रितों को समूह 'घ' का पद मृत संवर्ग होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मृतक आश्रितों के भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति करने के लिए मृत संवर्ग घोषित होने वाला वित्त विभाग का शासनादेश लागू नही है।

4 अतः इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–3–2011 द्वारा घोषित समूह 'घ' के पद के लिए उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर किसी मृतक आश्रित के समूह 'घ' के लिए पात्र होने पर नियुक्ति हेतु डाईंग कैडर नहीं माना जायेगा, बल्कि समूह 'घ' के लिए पात्र होने की दशा में मृतक आश्रित को समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, और इस सीमा तक समूह 'घ' का संवर्ग पुनर्जीवित माना जायेगा।"

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या /XXX(2)/2015-55(08)2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना विभाग , उत्तराखण्ड देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1633/XXX(2)/2004
देहरादून, 08 अक्टूबर, 2004

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2004) (प्रथम संशोधन), 2004

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 2 (ग) का संशोधन–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान खण्ड ग के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड ग दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
(वर्तमान खण्ड)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।	"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या--186 (क-1)

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०ए०-10-30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 अक्टूबर, 2002 ई०
कार्तिक 09, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग
संख्या 1495/का-2--2002
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना/निरस्तीकरण

अधिसूचना संख्या 849/का-2-2002, दिनांक 23 अगस्त, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती सेवा नियमावली 1974 का अनुकूलन एवं उपान्तरण किया गया है। उक्त अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश जारी करने के साथ ही त्रुटिवश अधिसूचना संख्या 194/का-2--2002, दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2002 जारी हो गयी है। चूँकि अधिसूचना संख्या 849/का-2-2002, दिनांक 23 अगस्त, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती सेवा नियमावली 1974 का अनुकूलन किया जा चुका है अतः अधिसूचना संख्या 194/का-2-2002, दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा जारी उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2002 को एतद्द्वारा, नियमावली के प्रख्यापन की तिथि अर्थात् दिनांक 31-8-2002 से निरस्त किया जाता है। यह समझा जायेगा कि जैसे उक्त नियमावली प्रख्यापित ही नहीं हुई थी।

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 09 कार्मिक/424-2002-1,000+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग

23 अगस्त, 2002 ई0

संख्या 849/का–2/2002–चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल लागू होगी।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में जहां–जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां–वहां "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 849/Ka-2/2002, dated August 23, 2002 for general information :

August 23, 2002

No. 849/Ka-2/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may, by order, make such adaptation and modification of the law, by way of repeal or amendment, as necessary or empedient;

AND, WHEREAS, The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servent Dying in Harness Rules, 1974 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers under section 87 of Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Recrultment of Dependants of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974 will be inforce in Uttaranchal subject to the provisions of the following order :–

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANT DYING IN HARNESS RULES, 1974) ADAPTATION & AMENDMENT ORDER, 2002.

1. Short title and commencement--

(1) This order may be called the Uttaranchal (Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974) Adaptation & Amendment Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

2. **"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"--**

In the Recruitment of Dependants of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974 where ever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

By Order,

(ALOK KUMAR JAIN)

Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 14–09–2002, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 कार्मिक / 317–26–09–2002–1,000 (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

[illegible],
[illegible]
[illegible]-2
[illegible], 1991.

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-3 का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, जिसे अब [illegible] नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-3 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियमावली का लागू किया जाना 3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।	नियमावली का लागू किया जाना 3-यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू

...2...

नियम-8 का संशोधन

3- उक्त विज्ञप्ति के नियम 8 में, उप-नियम (3) के पश्चात् नये, निम्नलिखित उप-नियम का निम्न प्रकार रखा जायेगा, अर्थात्----

"(3) इस विज्ञप्ति के अन्य किसी विपरीत विद्यमान स्थिति में भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो विपरीत तुलना किसी ऐसे अनिश्चित पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

आज्ञा से,

(ओ०पी०आर्य)
सचिव।

संख्या:6/12/1973(1)/ग्रा०वि० दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- समस्त विभागों के प्रभारी उनके निजी सचिव।
8- सचिवालय के सभी अनुभाग।
9- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जय दयाल पुरी)
संयुक्त सचिव।

अधिनियम, नियम तथा अध्यादेश

उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित नियम, 1974

उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय कर्मचारियों की मृत्योपरान्त मृतक के परिवार को अकस्मात आये संकट से निवृत्ति प्रदान करने, आर्थिक दुर्दशा से बचाने, जीविकोपार्जन के अभाव से मुक्ति प्रदान करने तथा मानवता की दृष्टिकोण की परिपुष्टि करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में मृतक आश्रित नियमावली को प्रवृत्त किया। मृतक आश्रित नियमावली द्वारा राज्य सरकार ने मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर परिवार के भरणपोषण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की। माननीय न्यायालय ने मृतक आश्रित नियमावली के सन्दर्भ में यह उल्लेख किया कि अधिनियम का नियम का निर्वचन इस प्रकार होना चाहिए। कि जिससे मानव कल्याणकारी लक्ष्य पूर्ण हो सके। प्रारम्भ में मृतक आश्रित की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही सम्भव थी किन्तु संशोधनों द्वारा तथा माननीय न्यायालयों की व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में योग्यतानुसार नियुक्तियों का होना सम्भव हो सका। माननीय न्यायालयों ने मृतक आश्रित की नियुक्तियों के लिए अधिसंख्यक पदों पर नियुक्ति करना तथा पदों को स्वतः सृजित मान्य करना संभव कर दिया जिससे मृतक आश्रित परिवार को यथाशीघ्र विहित अनुतोष प्राप्त हो सके। मृतक आश्रित नियमावली, 1974 के अतिरिक्त उ.प्र. अनुकम्पा निधि नियमावली, सामूहिक बीमा योजना, बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपादान, अध्यापक, कल्याण प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता अनुतोषिक नियमावली का निर्माण, भविष्य निधि नियमावली, सामान्य भविष्य निधि अवकाश नगदीकरण आदि अनेक कल्याणकारी योजनायें हैं, जिनके द्वारा मृतक आश्रित परिवार को पूर्ण अनुतोष प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974[1]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषायें—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में—

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकाल के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

1. अधि. संख्या 6-12-1973-नियुक्ति-4, लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 1974, दिनांक 21-12-1973 से प्रभावी।

स्पष्टीकरण—नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने से है।

(ख) "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय,

[1][(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे—

(एक) पत्नी या पति

(दो) पुत्र/दत्तक पुत्र,

(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ

(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,

(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी :

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।]

(घ) *"कार्यालय का प्रधान"* का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. [2][**नियमावली का लागू किया जाना**—(1) यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप में सम्बन्धित सेवाओं और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. इस नियमावली का अधिरोही प्रभाव—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

[3][**5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती**—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में

1. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/2011, टी.सी.-IV दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/91 दिनांक 12-8-2001 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. नियम 5 (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2014, अधिसूचना संख्या : 6/12/73/का-2-टी.सी.-IV, दिनांक 22 जनवरी 2014 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र. असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 22 जनवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ। (22-1-2014 से प्रभावी)।

किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति—

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है, जिसके लिये टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी.ओ.ई.ए. सी.सी. सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी, सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हो :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय-सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

(2) जहाँ तक सम्भव हो ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

5-क. मई 1973 में मृत पुलिस पी0ए0सी0 कार्मिकों के सदस्य की भर्ती—नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटुब्लरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई 1973 में ऐसे उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

6. सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र की विषय वस्तु—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलाषित है, उस पर से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी।

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों, तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चय करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विधेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

[1](3) इस नियमावली में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्त विद्यमान न हो तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो जाये।

1. संख्या-6/12-1973-कार्मिक-2/2001 दिनांक 12-8-1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

9. सामान्य अर्हताओं के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति करने से पूर्व [illegible] इस बात की कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी—सघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा गठनकृत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा न हो, इस हेतु उसे लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरूष, अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्धों के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999

उत्तर प्रदेश सरकार

अधिसूचना संख्या 13/9/98-का-1-98

प्रकीर्ण

कार्मिक अनुभाग-1 *लखनऊ, दिनांक 9 जून, 1999*

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 का अधिक्रमण करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" [illegible] नियमावली के अधीन [illegible] करने के लिये सशक्त प्राधिकारी है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) "अनुशासन" का तात्पर्य इसमें वर्णित ऐसा अनुशासन से है,

(घ) "विभागीय जांच" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 7 के अधीन जांच से है,

(ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 6 के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है,

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(झ) "समूह क, ख, ग और घ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है,

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है।

3. शास्तियां—निम्नलिखित शास्तियां, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा उपबन्धित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेगी—

लघु शास्तियाँ—

(एक) परिनिन्दा

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकना,

(तीन) किसी दक्षतारोक को रोकना,

(चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुए आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना,

(पांच) समूह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना;

परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

दीर्घ शास्तियां—

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना,

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना,

(तीन) सेवा में हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो,

(चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो,

स्पष्टीकरण—इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात :

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना,

(दो) दक्षतारोक पार करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण समय वेतनमान में दक्षतारोक पर वेतन का रूक जाना।